Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक 2 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अगस्त, शुक्रवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सांवरमल अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढ़ाणा मथानिया जोधपुर एवं मनोहर सिंह प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढ़ाणा मथानिया जोधपुर को परिवादी से 2 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बी.एड़ इंटरशिप प्रमाण पत्र देने की एवज में मनोहर सिंह प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढ़ाणा मथानिया जोधपुर द्वारा **2 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्रीमती सुनिता कुमारी, पुलिस निरीक्षक** मय टीम के आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये सांवरमल पुत्र श्री फलचंद, निवासी गांव नया बास तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर हाल अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढ़ाणा मथानिया जोधपुर एवं मनोहर सिंह पुत्र श्री भंवरलाल निवासी शिवजी नगर नाले के पास बालसमन्द जोधपुर हाल प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंधार ढ़ाणा मथानिया जोधपुर को परिवादी से **2 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।